

प्रेषक,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
उ०प० शासन।

26

संवा में,

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प०, लखनऊ।नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।Budget-83
1/4/15

1/4/14

लखनऊ : दिनांक २० मई, 2015

दिव्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3997/10/छ/विविध/खीरी/2012-13, दिनांक 04 मार्च, 2014 व जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी का पत्र संख्या-108/25/इडा, लखीमपुर-खीरी/2013-14, दिनांक 08.09.2014 एवं संख्या-213/25/इडा, लखीमपुर खीरी/2014-15, दिनांक 20.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण, जल निकासी व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-लखीमपुर खीरी की न0पा0परि0 लखीमपुर खीरी की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 38 परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि में से ₹० 184.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष संलग्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित परियोजनाओं की सम्पूर्ण धनराशि ₹० 184.06 लाख (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख छः हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

अधीक्षा/मौजूदा/एवं

क्रमांक.....2

576/15
26/5/15


576/15

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त सम्बन्धित निर्माण इकाई का अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

क्रमशः 3

15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित भवायि के बाट अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपयुक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गंदी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूर्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्ता।


भवदीय,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 434/१०१५/१७१३ (1)/६९-१-२०१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (ई-८) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
8. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,


 (कमल किशोर गुप्ता)
 उप सचिव।

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	इस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	स्वीकृति योग्य घनराशि।
1	2	3	4	5
1.	लखीमपुर खोरी	न००३००५००	मो० रामनगर में बच्चू लाल मिश्र के मकान से सोहनलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.50
2.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में परमेश्वरदीन के मकान से भगौती के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.85
3.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में आ०००१० कनौजिया के मकान से बलीराम चमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.54
4.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में हरीराम चमार के मकान से नीरजगौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.56
5.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में रामकुमार राज के मकान से जमुनापासी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.89
6.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में रामविलास गौतम के मकान से सोहनलाल पासी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.62
7.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में हरीरामगौतम के मकान से धर्मेश भार्गव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.90
8.	तदैव	तदैव	मो० रामनगर में अर्जुनलाल गौतम के मकान से राजेश्वरीदेवी के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.97
9.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में तेजीलाल पुष्कर से जुराखन लाल चमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.26
10.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर राधेश्याम मौर्या के मकान से सोबरन भार्गव के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.30
11.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में सकटू गौतम के मकान से राम कुमार गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.00
12.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में राकेश कुमार गौतम के मकान से रामपाल गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.95
13.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में अमित कुमार के मकान से बिरधारी लाल रैदास के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.78
14.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में रामदास पासी के मकान से हरीश निषाद के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.69
15.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में देशराज गौतम के मकान से पंकज गौतम के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.98
16.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में प्रदीप मौर्या के मकान से तेजपाल पुष्कर के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.80
17.	तदैव	तदैव	मो० सिद्धार्थनगर में सरजू प्रसाद के मकान से सुरेश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.92
18.	तदैव	तदैव	मो० निर्मल नगर में रमेश भारती के मकान से धुव कश्यप के मकान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.17
19.	तदैव	तदैव	मो० निर्मल नगर में रामदत्त मिश्र के मकान से रमेश गौतम के	3.66

✓

-2-

			मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	
20.	तदैव	तदैव	मो0 निर्मल नगर में रमेश गौतम के मकान से सुशील के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.62
21.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में श्रवणकुमार के घर से श्रीप्रकाश के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.81
22.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में के0के0 वर्मा के मकान से रामआसरे वर्मा के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.11
23.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में निभय वर्मा के मकान से कन्हैयालाल के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.46
24.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में परमश्वरटीन थोकी के मकान से सुखलाल के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.11
25.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में ननदलाल के मकान से पूरन सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.40
26.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में भगवान दास के मकान से निवाज अली के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.71
27.	तदैव	तदैव	मो0 राजगढ़ में अखिलेश के मकान से डालचन्द्र के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.46
28.	तदैव	तदैव	मो0 निर्मल नगर (हरिजन बस्ती) में बाल्मीकि शमशान घाट पर बाउण्डी वाल, गेट, इंटरलाकिंग एवं मिठी भराई का कार्य।	36.36
29.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में लतीफ के मकान से डामर रोड तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.70
30.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में नसरुल्ला के मकान से डामर रोड तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.67
31.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में सी0एम0 गौतम के मकान से रजनीश कुमार कश्यप के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.61
32.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में सचिन दक्षित के मकान से महेश धनेजा के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.44
33.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में कालू सिंह के मकान से के0बी0 अग्निहोत्री के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.30
34.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में श्याम बिहारी के मकान से के0बी0 अग्निहोत्री के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.99
35.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में संजय साहनी के मकान से अखिलेश कश्यप के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.55
36.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में लियाकत के मकान से डामर रोड तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.92
37.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में राकेश धनेजा से कुलदीप चावला के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.13
38.	तदैव	तदैव	मो0 बड़खेरवा में राम यश चावला के मकान से रमेश थापर के मकान तक इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.37
	योग			184.06

(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख छ. हजार मात्र)।


(कमल किशोर गुप्त)

उप सचिवाल